

मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त शहडोल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

—00—

मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड सतना कैम्प बुढ़ार द्वारा विक्रम कोल माइन्स परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्र बुढ़ार अन्तर्गत वनभूमि रकवा 142.075 हे. राजस्व वनभूमि रकवा 9.020 हे. कुल प्रस्तावित वनभूमि रकवा 151.095 हे. वनभूमि का मेरे द्वारा दिनांक 09.08.2021 को आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के निर्धारित बिन्दु संबंधी प्रतिवेदन उसके सामने दर्शायी गयी है :-

क्र०	विशेष	मुख्य वनसंरक्षक का निरीक्षण विवरण					
1	सीमा हेक्टेयर	151.095 हे० वनभूमि					
2	वनभूमि के स्थान (अक्षांश देशांश डायवर्जन के लिये प्रस्ताव रखा।	1	23°11'23.69152"	81°29'19.63380"			
		2	23°11'05.50133"	81°29'21.18683"			
		3	23°11'06.33627"	81°29'54.43232"			
		4	23°11'26.35812"	81°29'48.31551"			
		5	23°11'06.47787"	81°30'01.72106"			
		6	23°11'08.04864"	81°30'50.32957"			
		7	23°11'30.12656"	81°30'48.44284"			
		8	23°11'25.40493"	81°29'59.32335"			
3	वनभूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि) की कानूनी स्थिति।	परिक्षेत्र	ग्राम	कक्ष क्रमांक	आवेदित रकवा (हे०)	राजस्व वनभूमि रकवा (हे०)	योग रकवा (हे०)
		बुढ़ार	गोपालपुर	RF 827	50.835	3.514	54.349
		—"	बरतरा	RF 828	91.240	5.506	96.746
		Total:-			142.075	9.020	151.095
4	आस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्थान एवं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदित क्षेत्र का सीमांकन कर स्थल पर अस्थाई चिन्ह लगाये गये हैं।					
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण।	आवेदित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।					
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कर लिया गया हो तो वनसंरक्षक अधिनियम के दिशा निर्देशों के तहत उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण।	आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि में अवैध कार्य नहीं किया गया है। अतः कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।					

7	वनस्पति की स्थिति साईट की गुणवत्ता/ प्रजाति संरचना आदि।	आवेदित क्षेत्र में प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार वन परिक्षेत्र बुद्धार के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-827 बिगड़े वनो का पुर्नस्थापना कार्यवृत्त एवं आर.एफ. 828 सुधार कार्य कार्यवृत्त क्षेत्र है स्थल गुणवत्ता IVb जिसका घनत्व 0.2 से 0.5 तक है।
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों, और अन्य अनूसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्यजीवों की बहुतायत की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	आवेदित क्षेत्र में समय-समय पर मुख्य रूप से वन्य जीव जैसे हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, बंदर, चिंकारा आदि विचरण करते कभी-कभी देखे गये हैं।
9	वनस्पति, पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थानिकता।	आवेदित क्षेत्र में कोई अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र मौजूद नहीं है।
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	आवेदित क्षेत्र वनमण्डल को प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार श्री टी0एस0 चतुर्वेदी भा0व0से0 मुख्य वनसंरक्षक कार्य आयोजना कार्य अवधि 2018-19 2027-28 के अनुसार बिगड़े वनो का पुर्नस्थापना कार्यवृत्त एवं सुधार कार्यवृत्त के अन्तर्गत सम्मिलित है।
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	आवेदित क्षेत्र ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं है।
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता।	आवेदित क्षेत्र में किसी भी व्यक्तियों/परिवारों का जीवन निर्भर नहीं है।
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव।	आवेदित क्षेत्र में किसी व्यक्ति का विस्थापन नहीं है।
14	वहाँ किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है ? वहाँ विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	आवेदित क्षेत्र में व्यक्तियों के असहमति संबंधी प्रकरण संज्ञान में नहीं है।
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपर्युक्ता का स्थान अगर बिगड़े वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना के अनुसार विवरण गैर वनभूमि है तो, नजदीक वनक्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलो मीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिये।	उपरोक्त परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकवा 151.095 हे० में से ऊपरितल खनन हेतु रकवा 114.372 हे० के ऐवज में गैर वनभूमि/निजी राजस्व भूमि में रकवा 114.617 हे० वनमण्डल द० शहडोल, वनमण्डल सा० रीवा, वनमण्डल उ० सागर में 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गई है। प्रस्ताव में संलग्न है। वनक्षेत्र से लगा हुआ है। वनमण्डलवार 3 पैच में योजना है।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके आलावा नजदीकी के संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि०मी० की दूरी पर होना चाहिये।	आवेदित क्षेत्र किसी भी संरक्षण क्षेत्र का भाग नहीं है और न ही इसके 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित क्षेत्र स्थिति है। परियोजना क्षेत्र से लगभग 54.00 कि.मी. की एयर दूरी पर बंधवगढ़ टाईगर रिजर्व की बाहरी सीमा बनाती है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भरता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गयी है।	प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार पत्र नहीं दिए गये हैं। आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा दिया गया है। प्रस्ताव में संलग्न है।

18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना स्वीकृति होने पर पास के इलाके में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा जिससे इनके जीवनयापन रहन-सहन एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी।
19	नवीनीकरण के मामलों में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गयी समस्त शर्तों का पालन किया गया है, या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20	गैर-साईट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प।	यह साईट स्पेसिक परियोजना ही अन्य विकल्प मौजूद नहीं है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण-पत्र।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा मांग की गई वनभूमि न्यूनतम है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाईश।	प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत रकबा 142.075 हे. वनभूमि एवं 9.020 हे. राजस्व वन भूमि कुल 151.095 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित की गई है। इसमें रकबा 114.372 हे. वनभूमि उपरितल कोयला उत्खनन तथा 36.723 हे. भूमिगत कोयला उत्खनन किया जाना है। उपरितल कोयला उत्खनन में ही वृक्षों का काटा जाना प्रस्तावित है।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।	1. परियोजना के स्वीकृति होने पर पर इसके आस-पास निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगे जो इसके उन्नति में सहायक होगा। 2. परियोजना स्वीकृति होने पर वैकल्पिक ऊर्जा एवं इंधन प्राप्त होगा जो राष्ट्र के विकास में सहायक होगा।

स्थान :- शहडोल

दिनांक :- 09/08/2021

(पी.के.अर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (मध्यप्र.)